न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः— 04 / 2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सत्येन्द्रसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी ननेऊ, तहसील फलौदी, जिला फलौदी 2. आशाराम पुत्र श्री तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी ननेऊ, तहसील फलौदी जिला फलौदी 3. मोहम्मद आलम पुत्र समसदीन जाति मुसलमान, निवासी ननेऊ, तहसील फलौदी, जिला फलौदी।		1. कमरदीन पुत्र दीनू खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम ननेऊ, तहसील व जिला फलौदी। 2. ग्राम पंचायत ननेऊ जरिये प्रशासक तहसील फलौदी, जिला फलौदी।

<u>पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज 1994 विरूद्व पट्टा संख्या 09 दिनांक 21.10.1992 संकल्प पत्र पर जारी पट्टा दिनांकित 21.10.1992 जो प्रशासक ग्राम पंचायत ननेऊ द्वारा जारी किया गया।</u>

<u>उपस्थित वकील</u> –:

प्रार्थी की ओर से— अधिवक्ता श्री सिकन्दर मोहम्मद घोषी व अन्य।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर सेः— अधिवक्ता भूपेन्द्र सिंह राजपुरोहित व अन्य।

निर्णय दिनांकः— 14/10/2025

1. निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 प्रार्थी सत्येन्द्रसिंह व अन्य की ओर से अप्रार्थीगण संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 9 दिनांक 21.10.1992 के विरूद्व पेश की है।

2. निगरानी याचिका का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम ननेऊ व उसके आस—पास की सरकारी भूमि, धार्मिक मन्दिर, मस्जिद, चारागाह, गोचर व ओरण भूमि के संरक्षण का कार्य करते है। और गाम ननेऊ तहसील फलौदी में एक मन्दिर स्थित है। जिसके पास मन्दिर की खाली भूमि स्थित है। जो मन्दिर में आने जाने वाले श्रद्वालुओं के रहने, बैठने की जायगा है। प्रार्थीगण व गांव के अन्य व्यक्ति उक्त भूखण्ड का अपने पूर्वजों के समय से उपभोग—उपभोग करता आ रहा है। तथा प्रार्थी एवं मन्दिर में आने वाले श्रद्वालु उक्त भूखण्ड में अपने वाहन वगैरा खड़े करते है। अप्रार्थी संख्या 01 ने मन्दिर के पास के भूखण्ड पर निर्माण सामग्री डाल कर नींव भरना शुरू कर दिया और उसमें कच्चे छपरों का निर्माण करना शुरू कर दिया तो

जिला कलक्टर फलौदी

प्रार्थीगण ने कहा कि उक्त भूखण्ड मन्दिर का है जिसमें अप्रार्थी को कोई लेना–देना नहीं है। तब अप्रार्थी ने कहा कि भूखण्ड उसका पट्टासुदा है। जिसकों अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने नाम से प्रशासक ग्राम पंचायत ननेऊ के नाम का उपभोग करते हुए अपने पक्ष में फर्जी व कूटरचित पट्टा संकल्प संख्या 09 दिनांक 21.10.1992 जारी कर लिया है। अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी विक्रय विलेख विधि विरूद्व होने के करण निरस्त करवाने हेतु निगरानी याचिका आपके क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थी ने निगरानी याचिका न्यायालय में पेश की है।

3. निगरानी जरिये प्रार्थी श्री सत्येन्द्रसिंह राजपूत एवं अन्य ने जरिए अधिवक्ता श्री सिंकन्दर घोषी धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत पेश की गई जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को भेजे गये सम्मन की डाक रसीदे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। नोटिस तामील होने के बावजूद अप्रार्थीगण संख्या 01 के तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह राजपुरोहित की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 7 सीपीसी का पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस में सहमति प्रदान किये जाने उपरान्त स्वीकार किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ननेऊ से मूल रेकर्ड तलब करने हेतु तहरीर जारी की गई। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जरिये शपथ पत्र बताया कि निगरानी याचिका में पट्टा संख्या 9 दिनांक 21.10.1992 का मूल रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पट्टा से सम्बन्धित मूल रिकार्ड ग्राम पंचायत में नहीं होने के सम्बध में शपथ पत्र पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पंचायत से मूल बैठक रजिस्ट्रर तलब करने बाबत पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ अधिवक्ता ने बैठक रजिस्टर की फोटो बगैर सत्यापित प्रमाणित प्रति पेश की। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात निगरानी याचिका को बहस में रखा गया।

4. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत मूल रजिस्टर तलब करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रअप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रशासक के नाम की कूटरचान कर पट्टा प्रशासक ग्राम पंचायत के नाम से दिखाया गया है। किन्तु सम्बन्धित प्रशासक की वास्तविक स्वीकृति हस्ताक्षर अथवा उपस्थिति अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। जिसके अभाव में उक्त दस्तावेज पूर्णतः फर्जी है। प्रशासक ग्राम पंचायत ननेऊ द्वारा जारी तथाकथित कूटरचित भूखण्ड के पट्टे के पंचायत रिकार्ड में दिनांक 21.10.1992 की विधिवत बैठक रजिस्टर में दर्ज नहीं है। प्रशासक ग्राम पंचायत ननेऊ के नाम से अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जिस भूमि पर पट्टा जारी किया, वह सार्वजनिक आबादी भूमि थी, जिसे निजी व्यक्ति के नाम पर बिना वैध प्रक्रिया के हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान प्रशासक ग्राम पंचायत ननेऊ से अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से तत्कालीन प्रशासक द्वारा 21.10.1992 को जारी पट्टे से संबन्धित रिकार्ड की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने हेतु लिखित में प्रार्थना पत्र दिया गया है। उक्त फर्जी। एवं जाली पट्टा की बिना अप्रर्थी संख्या 1 द्वारा बेशकिमती मुख्य सडत्रक पर स्थित मंदिर की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। और न ही

जिला कलक्टर
फलौदी

अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त भूमि पर कोई कच्चा–पक्का निर्माण ही पूर्व में रहा है। इसलिए अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा संख्या 09 दिनांक 21.10.1992 प्रशासक ग्राम पंचायत ननेऊ के नाम से से कूटरचित एवं फर्जी व जाली तरीके से संकल्प पत्र पर जारी पट्टा को खारिज फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि उक्त भूखण्ड का पट्टा विधि की पालना एवं नियमानुसार बनाया हुआ है। राजनैतिक कारणों के कारण प्रार्थी द्वारा कब्जासुदा पट्टा की निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। जो मिथ्या एवं आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

6. उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस एवं दौराने बहस प्रस्तुत दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव ग्राम विकास अधिकारी ननेऊ के द्वारा पट्टा के सम्बध में शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तर्को पर विचार मनन किया गया।

7. ऐसी स्थिति में न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रकरण में पंचायतराज विभाग के उच्च अधिकारी से जांच करवाई जावे। अतः विकास अधिकारी फलौदी को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में समस्त तथ्यों एवं रिकार्ड का परीक्षण कर पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रक्रिया, वैधता, नियमितता एवं औचित्य बाबत गहन जांच व परीक्षण किया जावे एवं मय अभिलेख प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। विवादित भूखण्ड विक्रय व पट्टे बाबत सम्पूर्ण अभिलेख जहां भी उपलब्ध हो, से मंगवाया जाकर या प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सुस्पष्ट व निश्चयात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे। अतः विकास अधिकारी फलौदी को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में समस्त तथ्यों एवं रिकार्ड का परीक्षण कर पट्टे के वैधता का प्राथमिकता से 3 (तीन) माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

8. निर्णय आज दिनांक 14/10/2025 सरेइजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर फलौदी

श्वेता चौहान
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर फलौदी